FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

खेमाराम बनाम आसाराम वगै

किस्म मुकदमा रा० आवेदन नं 407/2020 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/12/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री शिवाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26/01/2021 को पेश हो। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट हेतु लिखा जाकर मौका रिपोर्ट तलब हो। [signature] सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
26/01/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील बाद तामील अप्राप्त। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 08/03/2021 को पेश हो।	
08/03/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 07/04/2021 को पेश हो।	

07/06/2021। प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों नोटिस तामील रिपोर्ट तामील अप्राप्त। विपक्षी संख्या-1 से 3 की ओर से वकील श्री उम्मेदसिंह चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 28/06/2021 को पेश हो।

28/06/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या-1 से 3 के अधिवक्ता जवाब आइन्दा पेश करना चाहते हैं। शेष विपक्षीगणों के नोटिस तामील रिपोर्ट अप्राप्त। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 07/09/2021 को पेश हो।

07/09/2021 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान [illegible]। पीठासीन अधिकारी [illegible] है। मिसल इलतवा होकर दिनांक 16/11/2021 को पेश हों।

16/11/2021 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हो चुकी है जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया आइन्दा पेश करना चाहते हैं। पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 22/03/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/03/2022	वकील फरीकैन उपस्थित / विपक्षी संख्या- 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, मोहलत पेश करना चाहते हैं पूर्व में पर्याप्त मौका दिये गये अंतिम मौका दिया जाकर पत्रावली दिनांक 04/04/2022 को पेश हो / sd उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर	
04/04/2022	वकील फरीकैन उपस्थित / विपक्षी संख्या- 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया पूर्व में पर्याप्त मौका दिये गये, पर्याप्त मौका दिये जाने के उपरान्त भी विपक्षी संख्या - 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर विपक्षी संख्या-1 से 3 का जवाब बन्द किया जाकर वास्ते बहस पत्रावली दिनांक -05/05/2022 को पेश हो / sd उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर	
05/05/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित / [illegible]इन व तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी के अधिवक्ता से बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि मौका रिपोर्ट में दर्शाया गया रास्ता लघुतम है इसके अलावा प्रार्थी के आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थी का [illegible]इन व तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर फैसला किया जावे / अतः पत्रावली व पत्रावली के संलग्न मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद प्रार्थी को दिया जाने वाला रास्ता sd	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रार्थी का निवेदन स्वीकार किया जाकर फाईल अदम से लिया गया व शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 407 / 2020 दिनांक :– 05/05/2022

प्रार्थी

1. खेमाराम पुत्र लाभूराम
2. नानकाराम पुत्र लाभूराम
3. भंवराराम पुत्र लाभूराम
4. मोहनराम पुत्र लाभूराम
5. श्रवण कुमार पुत्र लाभूराम
6. कसुम्बीदेवी पत्नी लाभूराम

जाति जाट निवासी माडपुरा पुराना गांव, तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. आलाराम पुत्र भैराराम
2. करनाराम पुत्र भैराराम जाति सुथार
3. हीराराम पुत्र लच्छाराम जाति जाट निवासी माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर
4. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कवास
5. तहसीलदार बायतु

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 –क (1) रा.का.अधिनियम

Application for permission under sub-section (1) pf section 251-A of the Rajasthan tenancy Act, 1955

उपस्थिति :– 1. श्री रिणछाराम सियाग अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 360 रकबा 10.8163 हैक्टेयर ग्राम माडपुरा पुराना गांव पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु से सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 363, 540 / 367 रकबा 19.3836, 04.3605 हैक्टेयर में से होकर 12 फीट चौड़ा रास्ता स्थापित कर खुलवाने हेतु यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया। प्रार्थी का आवेदन दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब आवेदन तलब किया। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। विप्रार्थीगण वकील संख्या 1 से 3 के जवाब हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के बावजूद उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने से जवाब बंद किया गया।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

प्रकरण में मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार बायतु को लिखा गया। मौका ,र्ट तहसीलदार बायतु द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को साथ रखकर तैयार की गई। तहसीलदार बायतु ने मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि प्रार्थीगण द्वारा खेत खसरा नम्बर 360 में से होकर सड़क तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 363, 540/367 में से रास्ता चाहा है, न्यूनतम दूरी का रास्ता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है एवं उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक मार्ग वर्तमान में नहीं चल रहा है। सड़क से कम दूरी व मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग रास्ता प्रस्तावित किया गया है तथा प्रस्तावित रास्ते का कुल रकबा 0.0809 व 0.0162 हैक्टेयर कुल रकबा 0.0971 हैक्टेयर है।

तहसील कार्यालय से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण वकील ने अपने आवेदन के तथ्य दोहराते हुए प्रकट किया कि प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 363, 540/367 से मौका रिपोर्ट में बताये रास्ते अनुसार ही मुख्य मार्ग तक पहुंचने हेतु आता जाता रहा है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के आवागमन हेतु अन्य कोई नजदीकी व वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अंत में निवेदन किया कि मौके पर मौका रिपोर्ट अनुसार 0.0971 हैक्टेयर का रास्ता कायम किया जाये, जिस हेतु प्रार्थी नियमानुसार मुआवजा राशि अदा करने पर सहमत है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना, उनके कथनो पर मनन किया व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। धारा 251 (क) (1) अनुसार जब कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारो की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है और मामला खातेदारान् के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश होने पर यह साबित करना आवश्यक है कि प्रस्तावित रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

प्रार्थी के अनुसार जिस रास्ते को उसने प्रस्तावित किया है वह रास्ता मौके पर कदीम से विधमान है। प्रार्थी को इस रास्ते की अत्याधिक आवश्कता स्पष्ट है क्योंकि इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जहां से होकर प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 360 तक पहुंच सकें।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम माड़पुरा पुराना गांव पटवार मण्डल माड़पुरा बरवाला तहसील बायतु के खसरा नम्बर 363 व 540/367 में से होकर खसरा

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

360 तक पहुंचने हेतु 0.0971 हैक्टेयर का रास्ता मौका रिपोर्ट में दर्शाये बरंग अनुसार कायम किया जाता है।

उक्त भूमि का प्रतिकर डी.एल सी की दर प्रति बीघा 85984/– से दुगना देय होगा। तहसीलदार बायतु प्रार्थी को रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि यानि 0.0971 हैक्टेयर की राशि 1,03,181 तहसील कार्यालय में जमा कराने हेतु सूचित करें तथा प्रतिकर की राशि तहसील कार्यालय में जमा होने पर इस आदेश का भू अभिलेख में अंकन करे तथा प्रतिकर Compensation राशि 1,03,181/– नियमानुसार विप्रार्थीगण को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 05/05/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

5/5/22

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

SDO
बायतु